प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तरॉचल,हल्द्वानी (नैनीताल)

सेवा में,

प्रधानाचार्य / आहरण वितरण अधिकारी,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्णप्रयाग (चमोली) ,
उत्तरॉचल ।

पत्रांक : डीटीईयू/0202/लेखा /2005–06/ दिनांक : 16 दिसम्बर, 2005

विषय : **वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु आयोजनागत पक्ष में मानक मद संख्या–24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत रा0 औ0 प्र0 संस्थान तपोवन जनपद चमोली के भवन निर्माण हेतु धनराशि आबंटित किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तरॉचल शासन देहरादून के शासनादेश सं0–1808/VIII/05–620–प्रशि0/2003 दिनांक: 29 नवम्बर, 2005 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06, अनुदान संख्या–31 , लेखाशीर्षक : 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 796– ट्राईबल सब प्लान, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना –00–0301–मुनरयारी, धारचूला कालरी तथा तपोवन आई0टी0आई0 के अन्तर्गत **आयोजनागत** पक्ष मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तपोवन जनपद चमोली हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 74/1 राजपुर रोड ,देहरादून द्वारा प्रस्तुत रू0–110.98 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत आगणन रू0 95.40 लाख की धनराशि के आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु रू0– 70.00 लाख का बजट आवंटन पत्र निम्न प्रतिबन्धों एवम् निर्देशों के अधीन प्रेषित किया जा रहा है। यह आवंटन प्रथम बार किया जा रहा है।

1. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निर्वतन पर स्वीकृत की जा रही है कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2005–06 में करने का कष्ट करें । यदि इस तिथि तक कोई धनराशि शेष बचती है तो उसका नियमानुसार शासन को दिनांक 31–03–2006 तक समर्पण कर दिया जाय । उक्त धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाणपत्र कार्य की भौतिक प्रगति सहित शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराई जाय ।
2. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निर्वतन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने से बजट मैनुवल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो । जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक हो वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा । व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्यता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों / अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये । व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।
3. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।
4. कार्य करते समय , टैण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाये, कार्य करने के पूर्व यदि किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।
6. कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी ।
7. टी0ए0सी0 के निम्न बिन्दू में दर्शायी गयी शर्तों / प्रतिबन्धों को पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाये।
   (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
   (2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी , बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।
   (3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है । स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
   (4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

क्रमशः 2.

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।
(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।
(7) आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय , एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।
(7 ए–) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये ।
(9) व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।
(10)कार्य करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका , बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्यता के संबध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

11. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06, अनुदान संख्या–31, लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03– प्रशिक्षण , 796– ट्राईबल सब प्लान , 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना –00–0301–मुनस्यारी,धारचूला कालसी तथा तपोवन आई0टी0आई0 के अर्न्तगत **आयोजनागत** पक्ष मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 पी0एस0 गुसांई)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या : 8152-65 /डीटीईयू/0202/लेखा /2005–06 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– **निम्नांकित को सूचनार्थ एवंम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, कर्णप्रयाग ।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिशिक्षु) गढ़वाल मण्डल श्रीनगर जनपद पौड़ी ।
3. प्रमुख सचिव, श्रम एवम् सेवायोजन उत्तरॉचल शासन देहरादून ।
4. महालेखाकार, उत्तरॉचल देहरादून ।
5. वित्त अनुभाग–3 ,उत्तरॉचल शासन, देहरादून ।
6. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी ।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
8. प्रधान प्रबन्धक,(निर्माण) गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 74/1 राजपुर रोड ,देहरादून ।
9. नियोजन विभाग, उत्तरॉचल शासन ।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
11. जिलाधिकारी चमोली ।
12. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
12. गार्ड फाईल लेखा प्रशिक्षण अनुभाग निदेशालय ।

(डा0 पी0एस0 गुसांई)
निदेशक ।